



2026:AHC:18109

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 409 वर्ष 2026

राम चंदर

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुनील कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि याचिकाकर्ता को 06.01.1992 को प्रांतीय रक्षा दल में नामांकित किया गया था, हालांकि, उसे इस आधार पर कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं दी गई कि नामांकन के समय वह बालिग नहीं था।
3. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्ट्या प्रतिपक्षी संख्या 3 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिपक्षी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करे, जिस पर प्रतिपक्षी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

27 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)